वै०आ०-2- 0। वि०प०प्र०। GH- 2023

विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये

<u>अतारांकित प्रश्न संख्या-20 का उत्तर</u>

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि वित्त विभाग के वै0आ0सं0-2-433/दस-2005-44-2001टी0सी0 द्वारा प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग संवर्गीय पुनर्गठन करने के संबंध में आदेश जारी किये गये है?	हॉ।
(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के पैरा नं0-2 में वाहन चालकों का एकीकृत संवर्ग बनाने की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है?	हॉ, आदेश के पैरा नं0-02 में जो वाहन चालक संवर्ग का एकीकृत संवर्ग बनाये जाने की व्यवस्था है वह शासन के किसी प्रशासकीय विभाग में संचालित एक ही विभागाध्यक्ष कार्यालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के वाहन चालक संवर्गो के एकीकरण से संबंधित है। यह शासन के किसी एक प्रशासकीय विभाग में संचालित विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के वाहन चालक संवर्गो के एकीकरण से संबंधित नहीं है। उक्त आदेश के पैरा–2 की व्यवस्थानुसार एक ही विभागाध्यक्ष कार्यालय/नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन वाहन चालक का जिला कार्यालय, मण्डल कार्यालय एवं मुख्यालय का अलग-अलग संवर्ग होने तथा प्रत्येक संवर्ग में पदों की संख्या कम होने पर वाहन चालक का एकीकृत संवर्ग बनाया जा सकता है।
(ग) क्या वित्त विभाग के अधीन निदेशालयों में वाहन चालकों के कही एक पद तो कही दो पद तथा कही तीन पद या चार पद है, परन्तु उन्हें एकीकृत कर संवर्ग नहीं बनाया गया है?	
(घ) क्या विभाग के नियन्त्रणाधीन कार्यालयों के वाहन चालकों को उपरोक्त मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्रदान कराने हेतु एकीकृत संवर्ग बनवायेंगे?	
(ड.) यदि हां, तो कब तक?	
(च) यदि नहीं, तो क्यों?	

Mayank

(मयंकेश्वर शरण सिंह)
राज्यमंत्री,
संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण, उ0प्र0।

(सुरेश खन्ना)
वित्त मंत्री।